

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 40/13 वैवाहिक

श्रीमती राधाबाई पत्नी विनोद सिंह आयु
22 साल जाति जाट ठाकुर निवासी
निवरोल परगना गोहद जिला भिण्ड
म०प्र०

-----आवेदक

बनाम

विनोदसिंह पुत्र लाखन सिंह आयु 26
साल जाति जाट ठाकुर निवासी ग्राम
चितौरा थाना व परगना गोहद जिला
भिण्ड म०प्र०

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री उदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

अनावेदिक द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 26-11-2014 को पारित किया गया //

01. आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 13(ख) हिंदू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जिसमें उभयपक्षों की आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका की गई है।

02. प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदिका श्रीमती राधाबाई का विवाह अनावेदक विनोद सिंह के साथ दिनांक 11-6-10 को ग्राम निवरोल में सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरांत दोनों पति पत्नी में मधुर संबंध रहे किन्तु एक माह पश्चात् पक्षकारान के मध्य आये दिन पारस्परिक विचार न मिलने से छोटी छोटी बातों पर विवाद होने

लगे और दोनों पक्षकारान का व्यवहार एक दूसरे के प्रति क्रूर हो गये और दोनों के मध्य दूरियां स्थापित हो गयी । याचिका प्रस्तुत करने के करीब दो वर्ष पूर्व से प्रतियाचिकाकर्ता से पृथक अपने मायके में निवास कर रही है । पारस्परिक विचार न मिलने के कारण अब याचिकाकर्ता का प्रतियाचिकाकर्ता के साथ रहना सम्भव नहीं है । याचिकाकर्ता एवं प्रतियाचिकाकर्ता के मध्य दूरियां स्थापित हो चुकी हैं । जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में प्र0कं0 46/12 मु0फो0 से याचिकाकर्ता की ओर से प्रतियाचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 125 जा0फो0 का प्रकरण संचालित रहा उस प्रकरण में भी दिनांक 12-6-13 को प्रतियाचिकाकर्ता विनोद के द्वारा नगद 75 हजार रुपये व मोटरसायकिल और शादी के समय राधाबाई के माता पिता द्वारा दिया गया समस्त दहेज का सामान वापिस कर दिया और लिखित में राजीनामा होने से प्रकरण भी समाप्त हो चुका है । याचिकाकर्ता एवं प्रतियाचिकाकर्ता का अब एक साथ रहना संभव नहीं है क्योंकि दोनों के मध्य अनेक बार सुलह समझौता की बातचीत होने के पश्चात् भी पारस्परिक विचार न मिलने के कारण दूरियां बढ़ गयी हैं और पक्षकारान लगभग दो वर्ष से पृथक पृथक निवास कर रहे हैं । याचिकाकर्ता एवं प्रतियाचिकाकर्ता के साथ रहने को तैयार नहीं है और याचिकाकर्ता व प्रतियाचिकाकर्ता पारस्परिक सहमति से दिनांक 11-6-2010 को हुये विवाह को बिखण्डित कराने को सहमत हैं । आवेदनपत्र को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बताते हुए आपसी सहमति के आधार पर उनके बीच हुए विवाह दिनांक 11.06.2010 को विच्छेदित किए जाना और वैवाहिक संबंधों से मुक्त रहने की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया है।

03. प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में विचारणीय प्रश्न है यह है कि :-
क्या आपसी सहमति के आधार पर धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत डिक्री पारित की जा सकती है?

सकारण निष्कर्ष

04. आवेदिका राधाबाई एवं विनोद सिंह का विवाह दिनांक 11-6-10 को सम्पन्न होना और दोनों के मध्य पति पत्नी के संबंध स्थापित होकर उनकी वैवाहिक स्थिति पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों के आधार पर प्रमाणित है । आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत उपरौक्त याचिका जो कि दिनांक 19.06.2013 को न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। इस प्रकार याचिका पेश हुये डेढ वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। उक्त याचिका के साथ उभय पक्षकारों के शपथ संलग्न है और याचिका में उसके फोटो चशपा है तथा दोनों के हस्ताक्षर है। आवेदन पत्र पेश होने के उपरांत पक्षकार स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय

के समक्ष उपस्थिति रहे हैं, इस दौरान भी पक्षकारों के मध्य आपसी सलाह समझौता होने के कोई आसार नहीं रहे हैं।

05. प्रकरण में आवेदिका राधाबाई तथा अनावेदक विनोद सिंह जो कि दोनों ही आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद करने हेतु सहमत पक्षकार हैं। दोनों पक्षकारों के कथन लेखबद्ध किए गए। उनके कथनों में स्पष्ट रूप से यह बात आई है कि वर्ष 2010 में शादी होने के उपरांत कुछ समय तक ही वह ठीक से रहे इसके उपरांत करीब दो वर्ष से वह पृथक-पृथक रह रहे हैं। इस प्रकार लगभग दो वर्ष के अंतराल से आवेदिका एवं अनावेदक एक दूसरे से पृथक पृथक रह रहे हैं, जैसा कि उक्त साक्षियों के कथनों से स्पष्ट है उनके बीच किसी प्रकार आपसी सलाह समझौता होने अथवा उनका साथ रह पाना भी संभव नहीं लगता है। दोनों ही पक्षकार बालिक हैं तथा अपना भला-बुरा समझने में सक्षम हैं।

06. उपरौक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र जो कि आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचना उनके द्वारा की गई है और इस संबंध में याचिका पेश हुये 6 माह से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी उनके मध्य आपसी सलाह समझौते की कोई संभावना नहीं है। पक्षकार आपस में शादी सुदा होकर पति पत्नी के संबंध होना स्पष्ट है। पक्षकार दो वर्षों से एक दूसरे से पृथक रह रहे हैं। विचारोपरांत पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद हेतु याचिका स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है—

1. आवेदिका राधा बाई एवं आवेदक विनोद सिंह के मध्य दिनांक 11.06.2010 को सम्पादित विवाह आपसी सहमति के आधार पर विच्छेदित किया जाता है।
2. पक्षकार वैवाहिक संबंधों से मुक्त रहेंगे।
3. उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय बहन करेंगे।

तदनुसार आज्ञा तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड